

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खंडकी केवल आवासीय तथा जनार्थ
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 199 दिनांक 12/06/2019

प्राथमिक शीर्षक दुर्गा लोनी w/o श्री जुगल किशोर लोनी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

भाग 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7052/- जमा है

जरिये रसीद संख्या 1069/4283, 4284

दिनांक 12/06/2019 को जमा करा दी हैं ।

P.No: बी 36 का पूर्वी भाग
पहाड़ी कॉलोनी, पतानाड

~~प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर~~

12/06/19
गौतम माथुर
सहायक नगर निगम अधिकारी
नगर निगम, जोधपुर